न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 51/2022

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–27 ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई एवं शाखा कार्यालय–21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलैक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रमोद प्रकाश शर्मा।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, निवास पता–पटटा नंबर 11, ग्राम पंचायत पटटी किशोरपुरा, पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा राजस्थान–303504

.....ऋणी

2. श्रीमती ममता देवी पत्नि श्री श्याम लाल शर्मा, निवास पता– पटटा नंबर 11, ग्राम पंचायत पटटी किशोरपुरा, पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा राजस्थान–303504

.....सह ऋणी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थिति : श्री नीरज जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांक: 05.08.2022

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 10,00,000/–(रूपये दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो कि आवासीय प्लॉट पटटा नंबर 11, ग्राम पंचायत पटटी किशोरपुरा, पंचायत समिति, लालसोट जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 84.00 वर्गगज है जो कि श्री श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, के स्वामित्व की भूमि है, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में रामावतार का बाडा, उत्तर में गली व परमेश्वर का मकान, दक्षिण में रामावतार का मकान है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested